संख्या– 492 / नौ–8–99–66 ज / 99

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी ,
   उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–8 लखनऊ : दिनांक : 12 मार्च, 1999

विषय : नगरीय क्षेत्र में स्थानीय निकाय की सम्पत्तियों के अन्तरण की प्रक्रिया स्वरूप दाखिल खारिज समयबद्ध तरीके से किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि नगरीय क्षेत्रों में सभी स्थानीय निकायों की सम्पत्तियों के अन्तरण किये जाने के मामलों में 2 माह के अन्दर दाखिल खारिज अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। इसके लिए समस्त स्थानीय निकाय सम्पत्ति अन्तरण रजिस्टर रखेंगे और समयबद्ध तरीके से दाखिल खारिज किये जाने की प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से ही निस्तारित कर अंतिम रूप से दाखिल खारिज 2 माह के अन्दर करेंगे।

2. इन आदेशों की नियमित समीक्षा अन्तरण प्रस्ताव रजिस्टर के आधार पर अपर आयुक्त प्रशासन करेंगे तथा उसकी समेकित रिपोर्ट शासन के नगर विकास अनुभाग–8 को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

3. कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
जे. एस. मिश्र
सचिव।